REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-जी.जे.-अ.-15122021-231880 CG-GJ-E-15122021-231880

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 649] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 15, 2021/अग्रहायण 24, 1943 No. 649] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 15, 2021/AGRAHAYANA 24, 1943

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण

अधिसूचना

गांधीनगर, 10 दिसम्बर, 2021

सं. 329/आई.एफ.एस.सी.ए./बुलियन एम.आई.आई.एस./2021-22.—अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आई.एफ.एस.सी. लिमिटेड, गुजरात द्वारा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के विनियम 4 के अधीन मान्यता प्रदान करने के लिए किए गए आवेदन पर विचार करने और यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि ऐसा करना व्यापार और बुलियन बाज़ार के हित में और लोकहित में भी होगा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के विनियम 6 के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण (बुलियन एक्सचेंज) विनियम, 2020 के विनियम 6 के साथ पठित अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 की धारा 12 और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसे तारीख 9 दिसम्बर, 2021 से प्रारंभ होने वाली और 8 दिसम्बर, 2022 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की अवधि के लिए, इसमें इसके नीचे कथित शर्तों या इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित की जाने वाली शर्तों के अधीन रहते हुए, बुलियन अंतर्निहित करने वाली बुलियन हाज़िर परिदान संविदा और बुलियन निक्षेपागार रसीद की बाबत बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम के रूप में मान्यता प्रदान करता है :

 बुलियन एक्सचेंज और बुलियन समाशोधन निगम, आई.एफ.एस.सी.ए. द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा।

इनजेती श्रीनिवास, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./516/2021-22]

## INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES CENTRES AUTHORITY

## NOTIFICATION

Gandhinagar, the 10th December, 2021

**No. 329/IFSCA/Bullion MIIs/2021-22.**—The International Financial Services Centres Authority, having considered the application by India International Bullion Exchange IFSC Limited, Gujarat for grant of recognition under Regulation 4 of the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 and being satisfied that it would be in the interest of the trade, bullion market and also in the public interest to do so, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 12 of The International Financial Services Centres Authority Act, 2019 and section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, read with regulation 6 of the International Financial Services Centres Authority (Bullion Exchange) Regulations, 2020 recognition to it as Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation for one year, commencing on the 9th day of December 2021 to 8th day of December 2022 in respect of bullion spot delivery contract and bullion depository receipt with underlying bullion, subject to the conditions stated herein below or as may be prescribed or imposed hereafter:

• The Bullion Exchange and Bullion Clearing Corporation shall comply with conditions specified by IFSCA from time to time.

INJETI SRINIVAS, Chairperson [ADVT.-III/4/Exty./516/2021-22]